ORIGINAL RESEARCH PAPER | Commerce | Volume - 7 | Issue - 1 | January - 2017 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 79.96

euLefr e: 'kn'kk dh lkekftd n'kk & ,d v/;;u

¼200 bZ- iw0 ls 200 b0 lu½

KEYWORDS

eun'kk

शोद्यार्थी –(M.Phil.)A.I.H. विभाग, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र।

मनुस्मृति :–
भारतीय सहित्य में मनुप्रोक्त स्मृति को मनुस्मृति, मनुसंहिता और मानव धर्मशास्त्र आदि कई नामों से उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति ब्राहमणीक साहित्य में सर्वाधिक चर्चित धर्मशास्त्र रहा है। स्मृतियों में इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। मनुस्मृति एक विधि विधानात्मक शास्त्र है। इसमें एक और जहां वर्णव्यवस्था के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी नियमों, कर्तव्यों, मर्यादाओं एवं आचरणों का वर्णन है, वहीं श्रेश्ठ समाज व्यवस्था के संचालन के लिए विधानों का निर्धारण भी है।

धर्मशास्त्र की संज्ञा स्मृतियों पर सभी प्रकार की टीकाओं को दी जाती है। धमसूत्र गध में लिखे गए और बाद में पदबद्ध स्मृतियों के रूप में विकसित हुए मनु की स्मृति सर्वाधिक प्राचीन और सुविख्यात है जिसे मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ब्यूलर के अनुसार मनुस्मृति की रचना 200 ई0 पुर्व से 200 ई0 सन् के बीच हुई। मनुस्मृति में समाज विशयक के अनेक महत्वपुर्ण विशयों पर विचार किया गया है तथा चारों वर्णो के विशेशधिकार एवं कर्तव्य, मिश्रित जातियों के आचार–नियम आठ प्रकार के विवाह, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास में मनुश्य के कर्तव्य, नियोग, बारह प्रकार के पुत्र बंटवारा, उतराधिकार, स्त्रीधन, शूद्रो की विशेश स्थिति आदि पर प्रकाश डाला गया है। इस धर्मशास्त्र में सामाजिक जीवन के सिद्वान्त निहित है जो मानव जीवन में सदैव प्रयोग के योग्य है और इसका अपना सार्वभौमिक महत्व है।[1] 'मनुस्मृति' के अनुसार ईश्वर ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णो के अतिरिक्त किसी पाँचवे वर्ण की उत्पति ही नहीं की है। ईश्वर ने समस्त विश्व की रक्षा के लिए इन चार वर्णो की सृश्टि की और उनके अलग–अलग कर्तव्य निश्चित किए। मनुस्मृति के अनुसार अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्र रहना और इन्द्रियों का नियन्त्रण चारों वर्णो के समान कर्तव्य हैं।[2]

समाज में चौथा स्थान शूद्रों का था। द्विवजों की तुलना में उनकी स्थिति अत्यधिक निकृश्ट थी। विराट पुरूश के पैरों से उत्पन्न मान कर समाज में उनकी स्थिति अत्यंत निम्न बना दी गई थी। ब्रह्मा ने उसकी उत्पति द्विवजों की सेवा के लिए की थी और यह उनका धर्म भी था।[3] मनु ने भी चार वर्णो के अतिरिक्त पाँचवे वर्ण को आस्तित्वहीन माना है।[4]

ऐसी कठोर वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य जातियों को सम्मिलित किया जाना

असंभव था। अतः इसी दृश्टि से समाज–व्यवस्थापकों ने सुधारवादी दृश्टिकोण से कर्म के आधार पर समाज का पुनर्गठन करने की चेश्टा की मनु ने क्रिया के लोप से बनने वाली पौण्डक, चौड़, द्रविड, कम्बोज, पवन, पारद, पहलव, चीन, किरात, करद और शक जैसी जातियो का उल्लेख किया है जिन्हे शूद्रों की श्रेणी में शामिल किया गया।

समाज मे चौथा स्थान शूद्रों का था। द्विवजों की तुलना में उसकी स्थिति अत्यधिक निकृश्ट थी। विराट पुरूश के पैरों से उत्पन्न मान कर समाज मे उसकी स्थिति अत्यन्त निम्न बना दी गई थी। ब्रह्मा ने उसकी उत्पति द्विवजों की सेवा के लिए की थी और यह उसका धर्म भी था।[5] शूद्र के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए मनु का कथन है कि

एकमेव तु शूद्रस्थ प्रभु! कर्म समादिश्त्।
एतेशामेव वर्णना शुश्रशा मनसुयसा।।[6]

वह जो विद्याहीन हो, शरीर से पुश्ट हो, सेवा में कुशल हो उस शूद्र को तीन वर्णो की प्रेमपुर्वक सेवा करनी चाहिए।

'मनुस्मृति' के अनुसार यदि शूद्र स्वर्ग प्राप्ति या जीविका एंव स्वर्ग प्राप्ति दोनों ही चाहता है तो वह ब्राह्मणों की सेवा करे क्योंकि वह ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही उत्पन्न हुआ है।[7]

समाज में शूद्रों की स्थिति सबसे हीन थी। वे न वेदाध्ययन कर सकते थे और न ही यज्ञिक कर्मकाण्ड के अनुश्ठान करने की अनुमति ही उन्हें थी। मनु के अनुसार ईश्वर ने शूद्रों को आदेश दिया था कि वह ऊँचे तीनों वर्णो की सेवा करे और केवल गृहस्थ आश्रम ही ग्रहण करें।[8]

मनुस्मृतिकार ने उल्लेख किया है कि वेद का अध्ययन केवल द्विज तक ही सीमित था। मनु ने शूद्रों को एक जाति अर्थात् एक बार जन्म लेने वाला कहा है। मनुस्मृतिकार का मानना था कि आर्य का पहला जन्म अपनी माँ से होता है किन्तु दुसरा जन्म मुंज के मेखलासूत्र बन्धन से होता है। इस प्रकार अगर कोई द्विज वेद न पढ़कर दुसरे व्यवसाय अपना लेते हैं तो वह शूद्र समझा जाता है और उसकी सन्तान की भी वही गति होती है।[9] मनु ने यह भी उल्लेख किया है कि जहाँ पर वेदों को पढ़ाया जा रहा हो वहाँ पर शूद्र को नहीं रहने देना चाहिए।[10] इसके अतिरिक्त शूद्र भी वेद मन्त्रों को सुन ले तो राजा को उसके कानों मे शीशा और लाख भरवाने का दण्ड दे सकता था।[11] वास्तव में शूद्र समाज दो वर्गो मे बंटा हुआ था, स्पृश्य और अस्पृश्य। स्पृश्य वर्ग के अन्तर्गत आने वाले शूद्रों का काम सेवा करना और द्विजों की चाकरी करना था। उन पर अनेक प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध लगाये थे और वे अनेक कर्तव्यों से बंधे हुए थे। मनुस्मृतिकालीन समाज में दुसरे वर्ग में अस्पृश्य आते थे। हट्टन के अनुसार अस्पृश्य बाहरी लोग थे। जो वर्णाश्रम व्यवस्था के बाहर के थे।[12] परन्तु आर. एस. शर्मा अस्पृश्यों को निचले दर्जे के शूद्रों में शामिल करते है और समाज व्यवस्था मे निम्नतम स्थान प्रदान करते है।[13]

मनु ने यवन, शक, पहलव, किरात को भी अस्प्रश्यों की श्रेणी में स्थान देते हुए म्लेच्छ कहा है। इनके बारे में यह भी कहा गया है कि ये ब्राह्मणों से परामर्श नहीं लेते थे। वास्तव में ये विदेशी आक्रमणकारी जातियाँ थी जो शूद्र वर्ण में मिला ली गई थी। इनमें से कुछ ने वैश्णव धर्म को अपनाया था तथा कुछ बौद्ध धर्म को अपनाये हुए थे। अतः ऐसा प्रतीत होता हैं कि ब्राह्मणीक धर्म के विराधी होने के कारण ही इन विदेशियों को घृणा की दृश्टि से मनुस्मृतिकार ने देखा था और उन्हें धार्मिक दृश्टिकोण से अस्पृश्यो के समकक्ष रखा होगा।[14]

शूद्रों की विवाह पद्धति :– मनुस्मृतिकालीन समाज में शूद्रों के विवाह संस्कार का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति से यह पता चलता है कि शूद्रो के विवाह बिना वैदिक मन्त्रों द्वारा सम्पन्न होते थे।[15] मनु निश्चयपूर्वक कहते है कि जो विवाह मंत्रों द्वारा सम्पन्न कराए जाते है उनमें नियोग नहीं हो सकता।[16] क्योंकि ये मंत्र शूद्रों के विवाह में नही पढ़े जाते,[17] इसलिए यह स्पश्ट है कि नियोग मुख्यतया शूद्रों तक ही सीमित था। एक वर्ण के साथ दुसरे वर्ण के विवाह के संबध में मनु ने पुरानी उक्ति उदत की है जिसमें उच्च वर्ण के लोगों की नीच वर्ण की महिला से विवाह की अनुमति दी गई है।[18] मनु इस विचार को नापसंद करते है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय की प्रथम पत्नी जो शूद्र महिला हो।[19] मनु का कथन है कि जो द्विज, शूद्र कन्या से विवाह करते है वे तुरंत अपने परिवार और बच्चों को पंक्तिच्यूत करके शूद्र बना देते है।[20] मनुस्मृतिकालीन शूद्र समाज में ऐसे विवाह दुर्लभ ही थे, जो शूद्रों के साथ होते थे लेकिन उन्हे समाज मे हेय दृश्टि से देखा जाता था।[21]

शूद्रों का दण्ड विधान :– साधारणतया मनु ने उच्च वर्णो के लोगों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों के लिए कठोर दण्ड निहित किये हैं यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देकर अपमानित करे तो उसकी जीभ काट ली जाती थी।[22] द्विज शब्द केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि किसी शूद्र द्वारा किसी वैश्य को दुर्वचन कहे जाने पर यह दण्ड देना स्पश्टतया निशिद्ब है मनु ने यह भी विहित किया है कि यदि कोई शूद्र द्विज के नाम और जातियों की चर्चा विस्तारपूर्वक करे तो दस उंगल लंबी लाल लोहे की कोटी उसके मुंह में ठुंस दी जाएगी।[23] यदि वह उद्दण्डता के साथ ब्राह्मणों को उनका कर्तव्य सिखाए तो राजा उसके मुँह व कान में गर्म तेल डाल देगा।[24] जायसवाल की राय है कि ये नियम धर्मप्रचार करने वाले विद्वान शूद्रों अर्थात बौद्ध या जैन शूद्रों और उस तरह के अन्य शूद्रों के लिए बनाए गए है जो उच्चवर्णो के साथ समानता का दावा करते हैं।[25] स्पश्ट है कि ये नियम मनु के उन राजनीतिक विरोधियों के प्रति उदिश्ट है जो सुस्थापित व्यवस्था का निरादर करते हैं।[26]

शूद्र नारी की दशाः– मनुकालीन समाज में शूद्र नारियों की स्थिति शूद्र पुरूशों से भी अधिक दयनीय थी। वास्तव में उन्हें समाज में ये अधिकार प्राप्त नहीं थे जो द्विज वर्ग की स्त्रियों को थे। समाज में शूद्र स्त्रियों को हेय दृश्टि से देखा जाता था।[27] मनुस्मृतिकार ने बौद्ध एवं जैन भिक्षुओं को भी शूद्र माना है। जबकि ये जाति पढ़ी–लिखी एवं संस्कारो से युक्त थी। ऐसा शायद मनु ने बौद्ध धर्म के प्रति घृणा के कारण कहा है।[28] शूद्रों के अस्पृश्य नारी पुरूशों की भांति दीन मानी गई थी। वे भी अपने परिवारो के साथ गाँव से बाहर निवास करती थी।[29] शूद्र स्त्रियाँ द्विज वर्ण की महिलाओं के साथ बात भी नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ण की महिलाओं का कार्य–कलाप केवल घर तक ही सीमित था। लेकिन शूद्र वर्ण की महिलाओं को अपने गुजारे के लिए खेतों, चारागाहों में काम करने के लिए जाना पड़ता था मनु ने शूद्र स्त्रियो को शिक्षा से पूर्णतया वंचित रखा है।[30] मनुस्मृतिकालीन शूद्र समाज मे नारी की स्थिति अपकर्श की स्थिति में पहुंच गई थी। समाज में शूद्र नारी को हेय दृश्टि से देखा जाता था।[31]

शूद्रों की धार्मिक स्थितिः– धर्मसुत्रों में शूद्र के लिए वेद का अध्ययन निशेध था जिसके फलस्वरूप वे यज्ञों और धार्मिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि इनमें केवल वैदिक मंत्रो का प्रयोग होता था। अश्वलायन गृहसुत्र के एक नियम[32] का अर्थ इस प्रकार किया गया हैं कि शूद्र मधुपर्क समारोह के अवसर पर होने वाले मंत्रों का पाठ सुन सकते थे।[33] वैदिक यज्ञ के लिए शूद्र अग्निस्थापन नहीं कर सकता था।[34] वह किसी संस्कार का अधिकारी नहीं था।[35] वैदिक यज्ञ से उसका बहिश्कार इस सीमा तक कर दिया गया था। कि कुछ धार्मिक कृत्यों में तो उसकी उपस्थिति वर्जित थी और उसे देखना भी मना था।[36] शूद्र सामान्यतया 'नमः' शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकता था।[37] इसका उच्चारण वह विशेश रूप से अनुमति मिलने पर ही कर सकता था।[38]

संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनु एवं उनके समकालीन विचारकों ने सामाजिक परिवेश के अन्तर्गत कठोर नियम बनाकर तथा बहुत कम सामाजिक और धार्मिक अधिकार देकर शूद्रों को द्विजों से अलग रखने का प्रयास किया था।[39] मनु ने शूद्रों पर अनेक प्रकार के सामाजिक तथा धार्मिक प्रतिबंद्व लगाकर उनका स्तर निम्न बनाये रखने का प्रयास किया है। समाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में अस्पृश्यों की अपेक्षा स्पृश्यों को थोड़े–बहुत अधिकार प्रदान किये गये थे, लेकिन इससे प्रतित नहीं होता कि मनु कालीन समाज में शूद्रों को सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति अच्छी थी।[40]

1. मोटवानी, केवल, मनु धर्मशास्त्र पृ0 207–208
2. मेघा तिथि टीका, मनुस्मृति 10 / 4 पृ0 839
3. वही, 10 / 63 पृ0 856

Volume - 7 | Issue - 1 | January - 2017 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 79.96

4. मनुस्मृति, 10 / 4
5. महाभारत, अनुशासनपूर्व 33 / 21 / 25
6, मनुस्मृति, 1 / 91 पृ0 88
7, वही 10 / 122–123 पृ0 876
8, मनुस्मृति, 1 / 9 शर्मा आर. एस. पुर्वोदत, पृ0 176
9, मनुस्मृति, 2 / 169
10, वही 4 / 99
11, गौतम धर्मसूत्र, 2 / 3 / 4
12, हटन, जे. एच., कास्ट इन इण्डिया, पृ. 193
13, शर्मा, आर. एस., पूर्वोदत, पृ. 229
14, मनुस्मृति, 10 / 55
15, मनुस्मृति, 9 / 265
16, कुल्लूक की टीका, 3 / 25
17, वशिश्ठ धर्मसूत्र, 1 / 25
18, मनुस्मृति, 3 / 13
19, वही, 3 / 14
20, वही, 3 / 15
21, मिश्र जयशंकर, पूर्वोदत 342
22, मनुस्मृति, 8 / 270
23, वही, 8 / 271
24, वही, 8 / 272
25, जायसवाल, मनु एण्ड याक्षवलक्य, पृ. 150
26, रंगस्वामी, के. वी. आस्पेक्ट्स ऑफ दी पोलटिक्ल एण्ड सोशल सिस्टम ऑफ मनु पृ. 132
27, तिवारी, चित्रा, शूद्राज इन मनूस्मृति, पृ. 41
28, शर्मा, आर. ए. प्रवोध, पृ. 181
29, मिश्र जयशंकर, पूर्वोदत, पृ. 120
30, जॉली, पूर्वोदत, पृ. 120
31, काणे, पी. वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ. 116
32, अश्वलायन गृहसुत्र, 1 / 21 / 12
33, हॉपकिन्स, म्यूचुअल रिलेशंस आफ दी फोर कास्टस इन मनुस्मति, पृ. 86
34, आपस्तंब, धर्मसूत्र, 1 / 1 / 6
35, वशिश्ठ धर्मसूत्र, 4 / 3
36, पारस्कर, गुहासूत्र, 2 / 8 / 3
37, गौतम धर्मसूत्र, 10 / 64
38, वही, 10 / 64
39, जैन, कैलाश चन्द्र, प्राचीन भारतीय सामाजिक व आर्थिक संस्थाएं, पृ. 49
40, थापर, रोमिला, भारत का इतिहास, पृ. 159

ey xzUFk lwph&

मनुस्मृति : मेघातिथि के साथ, कलकत्ता, 1932
महाभारत : नीलकंठ की टीका सहित, पूना, 1929–1933 गीता प्रैस, गोरखपुर
पारस्कर गुहासूत्र : गुजराती प्रैस संस्करण, 1917
आपस्तम्ब धर्मसूत्र : सम्पादक, बुहलर, जी., बम्बई, 1932

vk/kfud xzUFk&

काणे, पी. वी. : धर्मशास्त्र का इतिहास, हिन्दी अनुवाद, अर्जुन चौबे कश्यप, भाग 1,2, हिन्दी समिति सूचना विभाग, लखनउ, 1973
शर्मा, आर. एस. : शूद्रों का प्राचीन इतिहास, हिन्दी अनुवाद, दिल्ली, 1999
मिश्र, जयशंकर : प्राचीन भारत का समाजिक इतिहास, चतुर्थ संस्करण, 1988
मोटवानी, केवल : मनु धर्मशास्त्र, दिल्ली, 1987
थापर, रोमिल्ला : भारत का इतिहास, दिल्ली, 1975
तिवारी, चित्रा : शूद्राज इन मनु, दिल्ली, 1963